50/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2018(RCMS : 2018/00129) शशि सोनी निवासी सी–248 ब्रिज विहार, गाजियाबाद, थाना लिंक रोड–201011, उत्तर प्रदेश बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शशि सोनी स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री श्यामलाल उपस्थित है। उनके द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक 349 दिनांक 20.08.2018 प्रस्तुत किया गया, जो शामिल किया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में पत्र क्रमांक 2589 दिनांक 06.12.2017 द्वारा सूचना दी जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाये।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश करके लोक सूचना अधिकारी से दो बिन्दुओं की सूचनाऐं चाही थी। जो उसे निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसके द्वारा यह अपील पेश करके प्रार्थना की गई है कि उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे और लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे एवं उसे क्षतिपूर्ति भी दिलाई जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी शशि सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र पेश करके लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः–

> Kindly Provide the attested true copy of the Voter list of the following areas in which the address :
>
> 1. G-2-56 Sugar Mill Colony, Ward No. 45, Sriganganagar , Rajasthan - 335001
>
> 2. Gupta Stationers 6-B Block, Ravinder Path, Sriganganagar , Rajasthan - 335001 are situates kindly provide voter list of aforesaid area or both covering aforesaid area add respect

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

50
2018 जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर A3
2

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन क्रमांक 349 दिनांक 20.08.2018 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा प्रार्थी शशि सोनी को अपने पत्रांक ईआरओ/गंगा/निर्वा./2018–19/ 2589 दिनांक 06.12.2017 से निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

बिन्दु संख्या	वांछित सूचना	प्रति उत्तर
1	जी–2–56 मिल कॉलोनी वार्ड नं. 45, श्रीगंगानगर (राज.), मतदाता सूची	आप द्वारा चाही गई सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आप को किस वर्ष की मतदाता सूची चाहिए। इसलिए सूचना शून्य ह।
2	गुप्ता स्टेशनर्स 6–बी ब्लॉक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर (राज.) की मतदाता सूची	आप द्वारा चाही गई सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आप को किस वर्ष की मतदाता सूची चाहिए। इसलिए सूचना शून्य ह।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और स्पष्ट होनी चाहिए तथा प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।

सा/-
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

50 जिला कलेक्टर A3
2018 श्रीगंगानगर 3

सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

इसलिए प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के जवाब के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.12.2017 से प्रार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर